



रिश्वतखोरी पर सीबीआई का शिकंजा : जीएसटी दफ्तर में सहायक आयुक्त रंगेहाथ गिरफ्तार

► टीम ने 1.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा

नवभारत न्यूज
रतलाम। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग के दफ्तर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने अचानक छापेमारी करते हुए सहायक आयुक्त शंकर परमार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी अधिकारी को 1.5 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ा गया। सीबीआई द्वारा 31 मार्च 2026 को दर्ज किए गए इस प्रकरण में सहायक आयुक्त शंकर परमार के साथ निजी व्यक्ति सुरेश

मनसुखानी को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांचकारियों के अनुसार, सीबीआई को 30 जनवरी 2026 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीजीएसटी रतलाम के अधिकारी एक फर्म के खिलाफ जीएसटी कार्रवाई नहीं करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की फर्म जावरा क्षेत्र की बताई जा रही है। सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और सत्यापन में यह तथ्य सामने आया कि सहायक आयुक्त शंकर परमार ने एक बिचौलिए के माध्यम से शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद

सीबीआई को जनवरी में की थी शिकायत

सीबीआई को 30 जनवरी 2026 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीजीएसटी रतलाम के अधिकारी एक फर्म के खिलाफ जीएसटी कार्रवाई नहीं करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की फर्म जावरा क्षेत्र की बताई जा रही है। सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और सत्यापन में यह तथ्य सामने आया कि सहायक आयुक्त शंकर परमार ने एक बिचौलिए के माध्यम से शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद

सीबीआई ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रेप कार्रवाई की योजना बनाई। मंगलवार को सीबीआई टीम ने सीजीएसटी कार्यालय रतलाम में जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को बिचौलिए के जरिए 1.5 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई और देर रात तक पूछताछ का दौर चलता रहा।

कार्रवाई के बाद सीबीआई टीम ने आरोपितों के ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि मामले में अन्य लोगों को संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त पहल के रूप में देखा जा रहा है।

स्पा सेंटर्स पर पुलिस का सख्त पहरा आकस्मिक जांच से मचा हड़कंप

► एसपी के निर्देश पर रतलाम पुलिस ने चलाया विशेष अभियान

नवभारत न्यूज
रतलाम। शहर में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से रतलाम पुलिस द्वारा होटल, लॉज एवं स्पा सेंटर्स को लगातार जांच की जा रही है। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 31 मार्च 2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत स्पा सेंटर्स को आकस्मिक जांच की गई। पुलिस टीम ने कस्तूरबा नगर स्थित सेवन मिरर स्पा सेंटर एवं फिस्टल स्पा सेंटर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टाफ से



पूछताछ कर उनकी पहचान संबंधी जानकारी जुटाई गई और स्पा सेंटर में मौजूद कमरों की बारीकी से तलाशी ली गई। साथ ही मेंटेनेंस रजिस्टर, स्टाफ विवरण, आगंतुक रिकॉर्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की गई। पुलिस ने स्पा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए, रजिस्टर का नियमित संधारण

किया जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक सुश्री अनिशा जैन, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक रेखा चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। रतलाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

एक नजर में

आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण, तीन परियोजना अधिकारियों को थमाए नोटिस

रतलाम। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनीटरिंग हेतु विकसित व्यवस्था के अंतर्गत जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ केंद्रों पर स्व सहायता समूह द्वारा निर्धारित मनु अनुसार ताजा पका हुआ भोजन प्रदाय नहीं जा रहा था। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण 3 परियोजना अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए एवं 4 स्व सहायता समूह का एक दिवस के पोषण आहार की राशि का कटौती किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र इंदरकोट नगर (रतलाम शहर 1), आंगनवाड़ी केंद्र आक्यापाडा (रतलाम शहर 2), आंगनवाड़ी केंद्र ब्रह्मांड गली जावरा शहर (जावरा शहर), आंगनवाड़ी केंद्र कलाविया-1 (जावरा ग्रामीण) पर निर्धारित मनु अनुसार ताजा पका हुआ भोजन प्रदाय नहीं जा रहा था। परियोजना अधिकारी रतलाम शहर-1 श्रीमती चेतना गेहलोद, परियोजना अधिकारी जावरा ग्रामीण श्रीमती अंकिता पाटीदार, प्रभारी परियोजना अधिकारी रतलाम ग्रामीण-2 सुश्री फिरोज खान को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं अंबिका स्व सहायता समूह, वात्सल्य स्व सहायता समूह, वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह, अनन्ता स्व सहायता समूह का एक दिवस के पोषण आहार की राशि का देयक अमान्य कर राशि कटौती की गई।

हनुमान जन्मोत्सव : सनातन सोशल ग्रुप करेगा श्रद्धालुओं को 3 टन लस्सी वितरण की सेवा

रतलाम। केसरी नंदन बालाजी महाराज के जन्म उत्सव पर सनातन सोशल ग्रुप 3 टन केसरिया लस्सी का वितरण करेगा। सनातन सोशल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को लस्सी वितरण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 2 अप्रैल 2026 को सैलाना रोड स्थित बरबड़ हनुमान मंदिर पहुंच मार्ग स्थित होटल श्री जी के बाहर शाम 7 बजे से सनातन सोशल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को लस्सी वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में सनातन सोशल ग्रुप द्वारा श्रद्धालु जनों की सेवा की जाएगी। सनातन सोशल ग्रुप संयोजक मुन्नालाल शर्मा और अध्यक्ष अनिल पुरोहित (एपी) ने बताया 2 अप्रैल-2026 (गुरुवार) को केसरी नंदन बालाजी महाराज के जन्म उत्सव पर सनातन सोशल ग्रुप 3 टन केसरिया लस्सी का वितरण कर धूमधाम से मनाया जाएगा। सनातन सोशल ग्रुप संरक्षक और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय सहित पूर्व महापौर शैलेंद्र डोगा, बजरंग पुरोहित, मनोहर पोखवाल, प्रवीण सोनी, राजेश माहेश्वरी, सदीप व्यास, कैलाश ज्ञानानी, राजेश दवे, प्रभु राठौड़, अशोक पंड्या, पवन सोमानी, निवेश पटेल, महेंद्र भट्ट, बलवंत भाटी, निमिष व्यास, नरेंद्र जोशी, शैलेंद्र तिवारी, शांतिलाल शर्मा, बद्रीलाल परिहार, राजेंद्र पाटीदार, सवित्र रवि पंचार, उपाध्यक्ष निलेश सोनी, विशाल जायसवाल, नरेंद्र बाहेती, पप्पू माहेश्वरी, वीरेंद्र अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, हितेश कामरेड, मंगल लोढ़ा आदि ने धर्मनिष्ठ श्रद्धालुजनों से भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर प्रसादी स्वरूप लस्सी वितरण कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है।

सरसों भावांतर योजना अंतर्गत खरीदी 16 अप्रैल से होगी शुरु

रतलाम। रबी 2025-26 के लिए सरसों भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों के गहन सत्यापन के बाद योजना के क्रियान्वयन की तिथि में बदलाव किया गया है। पूर्व में यह योजना 1 अप्रैल से प्रारंभ होना प्रस्तावित थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब इसे 16 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।

जनगणना में मकान सूचीकरण स्वगणना की सुविधा 16 अप्रैल से

रतलाम। आगामी जनगणना प्रक्रिया के तहत मकान सूचीकरण चरण में नागरिकों की स्वगणना की सुविधा प्रदान की गई है। स्वगणना कार्यक्रम 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोई भी व्यक्ति स्वयं आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकता है। स्वगणना करने पर संबंधित व्यक्ति को एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। इसके बाद 1 माई से 30 मई के बीच जब प्रणालि घर-घर सर्वे के लिए आएंगे, तब नागरिकों को यह रेफरेंस नंबर उपलब्ध कराना होगा। प्रणालि द्वारा इस नंबर का सत्यापन कर अंतिम रूप से जानकारी सबमिट की जाएगी। प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने और जनगणना प्रक्रिया को सरल एवं सटीक बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

ट्रस्टी मनोनीत होने पर मेहता का किया सम्मान

जावरा। श्री चिंतामणि पाशवंनाथ भक्त मण्डल के सदस्य मुकेश मेहता को श्री 1008 पार्व्व जिन मंदिर ट्रस्ट मण्डल, पानवा (गुजरात) में ट्रस्टी मनोनीत किए जाने पर मण्डल के पदाधिकारियों ने उनके निवास पहुंचकर शाल, श्रीफल एवं मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित किया। यह नियुक्ति तीर्थ संस्थापक राष्ट्रांत गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय लेखेन्द्रसूरीश्वरजी मसा द्वारा की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष धेवरचंद दोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मालवा क्षेत्र से यह एकमात्र नियुक्ति मेहता की हुई है, इस अवसर पर राजकुमार हरण ने कहा कि मेहता ट्रस्टी बनने से जावरा के जैन समाज सहित भक्त मण्डल को भी लाभ मिलेगा। संजय मेहता ने कहा कि वे मण्डल के प्रत्येक कार्य में बढ़-चढ़कर सहयोग करते हैं। इस अवसर पर मण्डल के राजकुमार मारवाड़ी, प्रदीप बोरदिया, दिनेश ओस्वावाल, कमल चोरडिया, राजेन्द्र बोहरा एवं उज्ज्वल भंडारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

पुस्तकें-साइकिल पाकर खिले विद्यार्थियों के चेहरे



जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव का हुआ आयोजन

रतलाम। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम में जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया एवं पाठ्य पुस्तक प्रदाय की गई। विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा साइकिल प्रदाय की गई। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संबोधन का लाईव प्रसारण किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, कलेक्टर मिशा सिंह, क्षेत्रीय पार्षद अनीता कटारा, भोपाल से ओआईसी आरएसके वैभव श्रीवास्तव, जेडी कार्यालय से सहायक संचालक क्रीडा रामसिंह बनियार (प्रेक्षक), जिला शिक्षा अधिकारी अशोक लोढ़ा, प्राचार्य सुभाष कुमावत, डीपीसी राजेश झा, योजना अधिकारी जितेंद्र जोशी, जिला क्रीडा अधिकारी दीपेंद्र ठाकुर, एपीसी मुकेश राठौर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एमएल डामर एवं बीआरसी विवेक नागर सहित अन्य

शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक लोढ़ा ने स्वागत भाषण दिया। बीआरसी विवेक नागर द्वारा प्रवेशोत्सव की रूपरेखा रखी गई एवं आभार प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि प्रवेशोत्सव केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति समाज की जागरूकता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। कलेक्टर मिशा सिंह ने कहा कि शिक्षा ही जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा 12 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं, जिससे बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्राचार्य सुभाष कुमावत ने बताया कि विद्यालय परिवार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास शैक्षणिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद के लिए निरंतर प्रयासरत है। संचालन आशीष दशोत्तर द्वारा किया गया।

युवा विधायक सम्मेलन में गूजी आदिवासी अंचल की आवाज

सैलाना। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के तत्वावधान में आयोजित तीन राज्यों के युवा विधायकों के सम्मेलन में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार शामिल हुए। श्री डोडियार का संबोधन न केवल चर्चा का केंद्र बना, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को राष्ट्रीय मंच पर रखने वाला साबित हुआ।

भाषण के वीडियो सामने आते ही क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और आमजन के बीच इस पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। विधायक डोडियार ने अपने संबोधन में लोकतंत्र की मूल भावना को रेखांकित करते हुए अब्राहम लिंकन की प्रसिद्ध परिभाषा जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए अल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को बड़ी उम्मीदों के साथ चुनकर भेजती है, लेकिन जब वही प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की सड़क, पानी, बिजली,

अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी

रतलाम। अग्निवीर पदों के लिए पंजीकरण 10 अप्रैल तक भारतीय सेना अग्निवीर (पुरुष) जनरल ड्यूटी (जीडी) के लिए योग्यता 10वीं पास, ट्रेड्समेन के लिए योग्यता 8 वीं एवं 10 वीं पास, क्लर्क/एसकेटी के लिए 12 वीं पास एवं तकनीकी के लिए योग्यता 10 वीं एवं 12 वीं पास तथा महिला सैन्य पुलिस के लिए योग्यता 10 वीं पास आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्थायी पदों के लिए नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही फार्मा के पद भी उपलब्ध हैं। पंजीकरण की तिथि 13 फरवरी से 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। विस्तृत जानकारी एवं पंजीकरण के लिए भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाएं या 7648815570 एआरओ महू, 9479900334 एआरओ ग्वालियर 9039018588 एआरओ भोपाल, 7247028996 एआरओ जबलपुर पर संपर्क कर सकते हैं।

एमआरपी से अधिक कीमत पर आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक और पानी बेचने वालों पर प्रकरण

नवभारत न्यूज
रतलाम। जिले में एमआरपी से अधिक दामों पर आइसक्रीम आदि बेचने वाले दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया है। नियंत्रक नापतोल मध्य प्रदेश भोपाल ब्रजेश सक्सेना के माध्यम से भारत सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिल्ली के शिकायत पोर्टल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पानी बोटल पैकेज विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर नियंत्रक नापतोल मप्र भोपाल और कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टर नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल भारत भूषण द्वारा दल के साथ जांच की गई। विभागीय कर्मचारी गोतमलाल मईड़ा को ग्राहक बनाकर मे. महाकाल रेस्टोरेंट, महू नीमच रोड, सिमलावाद, मे. श्री बालाजी किराना, महू, नीमच रोड,



सिमलावाद, मे. साई किराना एण्ड रेस्टोरेंट, महू नीमच रोड, सातरेंडा चौराहा, मे. राठौर ज्युस सेंटर, लक्कडपीठा रतलाम पर भेज कर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पानी बोटल पैकेट खरीदवाये गये जिसमें उक्त दुकानों पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पानी बोटल पैकेज विक्रय किये जाने पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज

वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि कोई दुकान या संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापवाजन (पैकेज वस्तुएं) नियम- 2011 के उल्लंघन और दण्डनीय होने से केस दर्ज किया। जांच दल में कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे। भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतोल विभाग ने सलाह दी है कि यदि